न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 02/2024 GCMS No.—2024/102

1. बृजमोहन शर्मा पुत्र स्व0 श्री गोविंदनारायण शर्मा निवासी गाम गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकरण पुत्र श्री झूंथाराम निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत गोनेर, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत गोनेर, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी बाबत विरूद्ध ग्राम पंचायत गोनेर, पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर के द्वारा जारी किए गए पट्टा SP-1 दिनांक 26.06.1982 जो कि रामकरण पुत्र झूंथाराम के पक्ष में 1350 वर्गफुट का जारी किया गया को निरस्त किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र शर्मा निगरानीकार की ओर से।
2. श्री अरूण कुमार गोयल गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।
3. श्री भूपेन्द्र भारद्वाज गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 10.03.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गोनेर, पंचायत समिति सांगानेर, के आदेश दिनांक 26.06.1982 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.01.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण कुमार गोयल उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र भारद्वाज उपस्थित आये। ग्राम पंचायत गोनेर से मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार के दादा स्व. रामनाथ जी को सन् 1968 में ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा पट्टा जारी किया गया था। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने फर्जी व कूटरचित पट्टा बनाकर वाद संख्या 84/2009 उनवानी प्रकरण रामकरण व अन्य बनाम ग्राम पंचायत गोनेर व अन्य के नाम से न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश कम संख्या 26 जयपुर महानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उपरोक्त उनवानी प्रकरण के प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 22.02.2019 को फर्जी व कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री प्राप्त की गयी। निगरानीकार को ग्राम पंचायत द्वारा 427.25 वर्गमीटर भूमि का पट्टा नियमानुसार शुल्क जमाकर प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा दिनांक 05.11.2007 को पुलिस चौकी के लिये डाईट के पास व अस्पताल के सामने पुलिस चौकी बनाने के लिए अस्थाई निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उक्त अनापत्ति के संबंध में दिनांक 10.01.2008 को उपखण्ड

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अधिकारी सांगानेर के आदेश की पालना में पंचायत द्वारा प्रस्तावित पुलिस चौकी बाबत एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें अप्रार्थी रामकरण के हस्ताक्षर है अर्थात् जिस भूमि बाबत अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय से डिकी प्राप्त की गई है, उक्त भूमि के पास ही पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी. जारी की गई थी जिसकी जानकारी निगरानीकार के भाई घनश्याम शर्मा को होने पर अनापत्ति दिनांक 05.11.2007 के संबंध में दिनांक 08.09.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत गोनेर को प्रार्थना पत्र लिखा गया था तथा न्यायालय के यथास्थिति के आदेश होने के तथ्यो से भी अवगत करवा दिया था। उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निगरानीकार एवं उसके पूर्वजो का कब्जा रहा है। रामकरण के पक्ष में जारी प्रथम पट्टा दिनांक 26.06.1982 को रामकरण पुत्र झूंथाराम के नाम से मीनो का मोहल्ला में जारी किया गया है जो एल शेप में जारी किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 1342 वर्गफुट है एवं इसी प्रकार ग्राम पंचायत के द्वारा एक अन्य पट्टा मीनों का मोहल्ला में ही श्रीमती कमलेश पत्नी रामकरण मीना को दिनांक 22.03.1982 को जारी किया गया एक ही परिवार के सदस्यो को ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क पट्टा जारी किया गया जो पंचायती राज अधिनियम के नियमों अनुसार उचित नहीं है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने फर्जी तरीके से पट्टा तैयार किया है एवं उक्त फर्जी पट्टे में मुख्य पृष्ठ पर तो रामकरण के उपरोक्त वर्णित मीना मोहल्ला के अनुरूप तैयार कर लिया तथा पीछे का भाग रामकरण की पत्नी श्रीमती कमलेश को जारी किए गए पट्टे के अनुरूप तैयार कर लिया। रामकरण के द्वारा स्वयं के नाम से तैयार किए गए फर्जी पट्टे में मुख्य पृष्ठ पर एवं पीछे के पृष्ठ पर सरपंच भौरीलाल शर्मा के हस्ताक्षर फर्जी किये गये है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में रामकरण के द्वारा दिनांक 26.06.1982 को डिस्पेंसरी के सामने वाली भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिये कभी कोई आवेदन नहीं किया। ग्राम पंचायत की कार्यवाही की रजिस्टर में भी ऐसा कोई प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र का कोई उल्लेख नहीं है। पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही में किसी भी पंच को मौका निरीक्षण के लिये नियुक्त नहीं किया गया एवं पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने बाबत कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया। ग्राम पंचायत द्वारा रामकरण को पट्टा जारी किये जाने के लिये कोई निर्णय भी पारित नहीं किया गया एवं निःशुल्क पट्टा जारी किये जाने के लिए एक ही व्यक्ति को दो अलग–अलग जगह के निःशुल्क पट्टे जारी किए जाने के प्रावधान भी नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि का पट्टा निगरानीकार को सन् 1968 को ही जारी कर दिया गया था। गैर निगरानीकार द्वारा मीना मोहल्ला के विद्युत कनेक्शन, मकान व दुकाने बनाकर निवासरत बताते हुए माननीय सिविल न्यायालय से निर्णय व डिक्री प्राप्त की गयी उक्त सभी प्रदर्शित दस्तावेज गलत तरीके से डिस्पेंसरी की जगह होना बताकर उपयोग में लिए गए है, जबकि विवादित भूमि पर ना ही कोई विद्युत कनेक्शन है तथा न ही वहां पर किसी प्रकार कब्जा/निर्माण गैर निगरानीकार संख्या 1 का रहा है। गैर निगरानीकार ने ग्राम पंचायत से साज कर निगरानीधीन पट्टा आवंटन करवाया है जबकि गैर निगरानीकार किसी भी प्रकार से निःशुल्क पट्टा आवंटन का अधिकारी नहीं था। माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद एवं माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन निगरानी याचिका में पक्षकार भिन्न है। निगरानीकार के कब्जे व स्वामित्व की भूमि पर गैर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निगरानीकार संख्या 1 द्वारा अनाधिकृत कब्जे की कोशिश किये जाने पर माननीय सिविल न्यायालय से दस्तावेजो की प्रतिलिपि दिनांक 14.12.2023 को प्राप्त की गयी एवं माननीय न्यायालय हाजा में निगरानी पेश की है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोनेर पं.स.सांगानेर के आदेश दिनांक 26.06.1982 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार ने मनगढंत, गलत तथ्यो के आधार पर निगरानी पेश की है। निगरानीकार ने गैर निगरानीकार संख्या 1 की वैध डिक्रीशुदा सम्पत्ति पर अनावश्यक रूप से विवाद कारित करने के आशय से ही निगरानी पेश की है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 22.02.2019 की पालना दिनांक 22.11.2023 को हो चुकी है। मूल दावा के किसी भी पक्ष द्वारा दिनांक 22.02.2019 के निर्णय डिक्री को अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी एवं यह डिक्री निर्णय अन्तिम हो जाने एवं इजराय कार्यवाही भी पूर्ण हो जाने के पश्चात निगरानीकार या अन्य किसी को भी डिक्री निर्णय बाबत कोई निगरानी पेश करने का अधिकार ही शेष नहीं बचा है जिससे यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकार का डिक्रीशुदा सम्पत्ति के किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं रहा है। निगरानीकार के पूर्वज स्व. रामनाथ को जारी पट्टा विलेख से संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है इसलिए निगरानीकार ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाकर निगरानी पेश की है। माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दावे में निगरानीकार का भाई पक्षकार रहा है, इसलिए निगरानीकार के द्वारा मियाद बाबत दिये गये तथ्य अनुचित है। निगरानीकार का विवादित भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है, जब ग्राम पंचायत गोनेर में पट्टा पत्रावली ही उपलब्ध नहीं है तो ग्राम पंचायत द्वारा भूमि पर निर्माण बाबत एन.ओ.सी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। विवादित भूमि पर पुलिस चौकी स्थापित की गयी एवं माननीय सिविल न्यायालय के डिक्री आदेश की पालना में पुलिस चौकी हटायी जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 को कब्जा संभलवाया गया है। निगरानीधीन भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से निगरानीकार के हक अधिकार निहित है तो ऐसी दशा में निगरानीकार सिविल न्यायालय से अपने अधिकारो की घोषणा करवाने के पश्चात ही माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकारी है। निगरानीकार द्वारा गलत तथ्यो एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर निगरानी पेश की गयी है इसलिए निगरानीकार की निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा रामनाथ को गोनेर में परसो का बास के लिए पट्टा आंवटित किया गया था। रामनाथ के पुत्र सीताराम द्वारा निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पट्टे को फर्जी व कूटरचित बताया है इसलिए निगरानीकार को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। निगरानीकार ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेजो के आधार निगरानी पेश की है इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा मूल पट्टे की प्रति प्रेषित की गयी है जिसके अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में आदेश दिनांक 26.06.1982 द्वारा पट्टा जारी किया गया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि मौके पर निर्माण नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार को दिनांक 26.06.1982 को जारी पट्टा पंचायत राज अधिनियम 1953 की धारा 71 के तहत जारी किया गया है जबकि तत्समय पंचायती राज अधिनियम 1961 प्रभाव में आ चुका था इसलिए ग्राम पंचायत को निगरानीधीन पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1961 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा निगरानीधीन पट्टा सशर्त दिया गया था कि आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोपडा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तथ्यों एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर के आधार पर निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर प्रथम दृष्टया उभय पक्ष का ही किसी प्रकार का कब्जा या निर्माण नहीं होना जाहिर होता है इसलिए निगरानीधीन पट्टे के आवंटन में गैर निगरानीकार द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रतीत होता है। गैर निगरानीकार द्वारा पट्टा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोनेर, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा आदेश दिनांक 26.06.1982 गैर निगरानीकार संख्या 1 रामकरण पुत्र श्री झूथाराम जाति मीना, निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत गोनेर, पंचायत समिति सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(REMAND)** किया जाता है वह उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, पट्टे में दर्शित भूखण्ड की भूमि के संबंध में राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निर्धारित कानूनी प्रकिया का अक्षरशः पालन करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर